न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 116/2022

प्रार्थीगण :–

1. जेसा पुत्र तुलछा
2. धर्माराम पुत्र पदमाराम
3. हीराराम पुत्र पदमाराम

   जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सवा पुत्र निम्बा
2. खूमा पुत्र हेमा
3. खरता पुत्र दीपा
4. ताजा पुत्र हेमा
5. दूदा पुत्र दीपा
6. पूरो पत्नी दीपा
7. मगा पुत्र दीपा
8. मेहा पुत्रदीपा
9. रतना पुत्र हेमा
10. लाभू पुत्र दीपा
11. विशना पुत्र दीपा जाति जाट
12. आंबाराम पुत्र धूडाराम
13. गोरधनराम पुत्र धूडाराम
14. जोधा पुत्र अना
15. नराणा पुत्र धूकला
16. पोकर पुत्र अना जाति विश्नोई निवासी नया कुआ
17. वगताराम पुत्र राजूराम
18. खेमाराम पुत्र राजूराम
19. शेराराम पुत्र राजूराम

    जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
20. तहसीलदार नौखडा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु [illegible] जरिये पत्थर गढ़ी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। [illegible] विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब [illegible] विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2073–2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 12.5371 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 12.5371 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी